

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994

(Email=minocorpatna@gmail.com. website:www.bsmfc.org)

संचिका संख्या रो.क्र.ण.-3-61/22 / 90..... बी० एस० एम० एफ० सी०, /

दिनांक: 06/01/2023

स्वीकृत्यादेश

निगम के ज्ञाप संख्या-1197 दिनांक-23.07.2018 के आलोक में राज्य सम्पुषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2020-21 एवं 2021-22 अन्तर्गत सिवान जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयनित सूची सहायक निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, सिवान के पत्रांक-300 दिनांक-20.07.2022 के माध्यम से प्राप्त है। उक्त चयनित लघु ऋण क्र.सं-01 तक के आवेदकों का प्रमण्डलीय प्रभारी एवं सहायक निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, सिवान द्वारा त्रुटिहीन दस्तावेजीकरण एवं स्थल जाँच निष्पादित करा कर ऋण को स्वीकृति देने के लिए निगम मुख्यालय को भेजा गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सिवान के द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर कुल 01 लाभुकों को उनके नाम के सामने अंकित ट्रेड में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दर्शाये गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 2127 दिनांक 05.12.2018 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतये के स्तम्भ में दर्शाई गई राशि सीधे सम्बन्धित लाभुक के आधार कार्ड आच्छादित बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

Sl. No	चयन सूची क्र.सं०	Appl_Name / F/H_Name & Address	Supplier Name & Address With Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing Charge	Embossing Charge- 2030/-	Net Payable Amount
1.	02/144	AKHTAR HUSAIN, S/o- LATIF ANSARI, Vill.- BELARI TOLA, Block- DARONDA, PS- DARONDA, PO- MAHARAJGANJ, Distt.- SIWAN-841238, Mob,9973830012	DANISH AUTOMOBILES, Bangra, Railway Dhala, Ragarganj, Maharajganj, Siwan- 841238 AXIS BANK, MAHARAJGANJ A/C:- 918020051318529 UTIB0003582	PT 434 RDX 13.6.28	400000	2000	2030	395970
TOTAL					400000	2000	2030	395970

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

ज्ञापांक:-----90-----

प्रतिलिपि:-अख्तर हुसैन, पिता-लतीफ अंसारी, ग्राम-बेलदारी टोला, पोस्ट-महाराजगंज, थाना-दरौदा, प्रखण्ड-दरौदा, जिला-सिवान/को

सूचनाथ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06-01-2023
प्रबंध निदेशक

दिनांक:- 06-01-2023